



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-98

New Delhi: 09.03.2021

सुश्री पूजा चौधरी

अधिवक्ता

MMIG, A-16, शास्त्री पुरम,

सिकंदरा बोदला रोड, आगरा

उत्तर प्रदेश-282007

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 04.02.2021, जो इस कार्यालय में दिनांक 08.02.2021 को प्राप्त हुआ।

2. इस कार्यालय द्वारा आरटीआई आवेदन शुल्क हेतु भेजा गया समसंख्यक पत्र दिनांक 09.02.2021।

3. आपके द्वारा आरटीआई आवेदन शुल्क सहित भेजा गया पत्र दिनांक Nil, जो इस कार्यालय में दिनांक 23.02.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;


सुश्री आर० पी० छिबबर

समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 02 पृष्ठ


09.03.2021

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय/पंचवा तल : सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110001 -

Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Tel: 91 - 11+23454700, Fax No. 91-11-23454701 Web : www.dfccil.com, CIN : U60232DL2006GOI155068

नोट

संख्या एचक्यू/एचआर/आरटीआई/2020

दिनांक 09.03.2021


विषय: सूचना के अधिकार के अंतर्गत श्रीमती पूजा चौधरी के दिनांक 24.02.2021 के आवेदन के संदर्भ में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए।

उपरोक्त संदर्भ में उप महाप्रबंधक/प्रशासन(पीआईओ) के नोट संख्या 2021/एचक्यू/एडमिन/आरटीआई-98 दिनांक 24.02.2021 के अंतर्गत मांगी गई सूचना निम्नानुसार है:-

संख्या 2021/एचक्यू/एडमिन/आरटीआई-98 दिनांक 24.02.2021		
क्र. सं.	मांगी गई जानकारी	उत्तर
1.	डीएफसीसीआईएल द्वारा जारी विज्ञापन की सभी शर्तों में पात्र पाए जाने एवं HQ द्वारा पोस्टिंग लैटर जारी करने के बाद की प्रक्रिया एवं पोस्ट करने की समय सीमा क्या है	विज्ञापन की शर्तों और सीधे साक्षात्कार के माध्यम से प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रस्ताव पत्र जारी किए जाते हैं अथवा पुर्ननियोजन के प्रस्ताव की द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को मुख्य महाप्रबंधक यूनिट में कार्यग्रहण के लिए एक सप्ताह में रिपोर्ट करने के लिए दी जाती है जो कि पुलिस सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण जैसा कि भारतीय रेलवे पर संबंधित विभाग के कर्मचारियों एवं कोटियों के लिए लागू होता है, के अनुसार किया जाता है। उसके बाद संबंधित मुख्य महाप्रबंधक यूनिट द्वारा उनकी तैनाती के स्थान का निर्णय लिया जाता है।
2.	स्टेशन मास्टर व मुख्य नियंत्रक के पद हेतु (फिट) चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी होने के दिनांक से अगले किस दिनांक तक वैलिड माना जाएगा।	
3.	पोस्टिंग करते समय किन-किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।	तैनाती का निर्णय संबंधित विभाग और ग्रेड में रिक्तियों की आवश्यकता/उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।
4.	कंपनी के विज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित खंड में (कर्मचारी की चाँइस ऑफ पोस्टिंग के स्थान पर कर्मचारी को पोस्ट किया जाना अनिवार्य है) (हां या नहीं) कारण सहित।	यद्यपि पुर्ननियोजन कर्मचारियों की तैनाती विशेष रूप से मुख्य महाप्रबंधक यूनिट के अंतर्गत की जाती है। फिर भी प्रस्ताव के पत्र की शर्तों के अनुसार (डीएफसीसीआईएल) कंपनी कही भी कार्यालय/परियोजना साइट पर आवश्यकता होने पर तैनात कर सकती है।
5.	कर्मचारी का स्थानांतरण, उसका टेनुअर पूरा होने की तारीख से कितनेदिन पूर्व तक एवं उसके स्थान निवास स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी तक किया जा सकता है।	
6.	स्टेशन मास्टर व कंट्रोलर के प्रशिक्षण की समय सीमा क्या है व इन दोनों पदों का प्रशिक्षण कोर्स एक है या भिन्न-भिन्न है।	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव के आधार पर पुर्ननियोजन पर विचार किया जाता है। इसलिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
7.	डीएफसीसीआईएल के (OCC) में नियंत्रक के पद पर ऑपरेटिंग/ट्रैफिक का कर्मचारी जैसे कि स्टेशन मास्टर बिना इस पद का प्रशिक्षण पास किए कार्य कर सकता है नहीं तो क्यों	

(Handwritten signature and date)
9/3/2021

8	मुख्य नियंत्रक के पद कार्यरत कर्मचारी उसके कार्यस्थल से दूसरे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर का कार्य करने हेतु भेजा जा सकता है अगर भेजा जाता है तो वह कौन सा भत्ता लेने का हकदार है।	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सलाहकार/पुर्ननियोजन के रूप में लगाने के लिए वेतन एवं भत्तों को कार्यालय के मानव संसाधन परिपत्र संख्या एचक्यू/एचअर/3/रि एम्प/एंगेजमेंट पॉलिसी/10 दिनांक 1.10.2019 के अनुसार दिया जाता है।
9	प्रशासनिक आधार पर हुए स्थानांतरण पर कर्मचारी को कौन सा भत्ता देय है।	
10	मुख्य नियंत्रक के पद से स्टेशन मास्टर के पद पर रिवर्ट करने व इस बाबत पत्र जारी करने का अधिकार किस संबंधित अधिकारी को है एवं पत्र जारी करने की समय सीमा क्या है।	
11	किसी कार्यस्थल पर मुख्य नियंत्रक व स्टेशन मास्टर दोनों ही कार्यरत हैं एवं दूसरे स्टेशन पर आवश्यकता होने पर स्टेशन मास्टर कार्य करने हेतु किसे भेजा जाएगा।	
12	कर्मचारी के टेनुअर के अंतिम दिनांक तक अथवा एक या अधिक दिन तक नहीं हटाया जाता है तो टेनअर बढ़ा हुआ माना जाएगा। पत्र जारी करने की समय सीमा क्या है।	प्रश्न / स्पष्टीकरण और काल्पनिक जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत देय नहीं है।
13	एक ही स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर व मुख्य नियंत्रक में से (OCC/ALD)में नियंत्रक, मुख्य नियंत्रक के पद पर कार्य करने हेतु किसे भेजा जाएगा।	
14	रिफ्रेसर मेडीकल Due होने पर भी स्टेशन मास्टर से Duty कराई जा सकती है।	


 संयुक्त महाप्रबंधक/मानव संसाधन-II 1/3/2021

उप महाप्रबंधक/प्रशासन(पीआईओ)